

प्रायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर राज०

साल नं. 2/269/2025

तारीख रजु.....

राजवीर वनाग बिजेन्द्र वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	------------------------------------	---

04.11.2025

वकील प्रार्थी उपस्थित। आज यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वकिल प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकिल सायल ने शपथ पत्र, नकल जमाबन्दी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबन्द कराने का निवेदन किया वकिल सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सांयल के पक्ष में बखूबी सावित है।

अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी तारीख पेशी तक पाबंद किया जाता है कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 531/660, 25/252, वाके ग्राम बेरवा तहसील कठूमर में प्रार्थी के हिस्से तक रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। चुकिं एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है। ऐसे मे अप्रार्थीगण में से किसी के उपस्थित होकर बहस के लिये कहने पर वकिल प्रार्थीगण को अनिवार्यत बहस करनी होगी अन्यथा एक्स पार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समझा जावेगा।

अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत कोई उज्र हो तो दिनांक 19.12.2025 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस रजि० डाक से तलब होकर पत्रावली दिनांक 19.12.2025 को वास्ते तलबी अप्रार्थी पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)
कठूमर (अलवर) राज०

17/11/25

बसुबाब चंरोहन 13/12/26
डाहव
पत्रावली दिनांक 13/12/26
जो पेश हो।

